रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D.(D

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 20, 1979/फाल्गुन 1, 1900
No. 47] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 20, 1979/PHALGUNA 1, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1979

संकल्प

विषय :—हथकरघा वित्त के लिए भारतीय रिजर्व बैंक योजना की कार्यप्रणाली के पुनरीक्षण के लिए अध्ययन दल।

सं० 6(9)/78-को-आप—भारत सरकार ने अपने संकल्प सं० 6/7/77-को-आप दिनांक 28 अक्तूबर, 1977 द्वारा हथकरघा वित्त के लिए भारतीय रिजर्व बैंक योजना की कार्यप्रणाली को गहराई से अध्ययन करने तथा योजना के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिये उचित सिफारिशें करने हेतु डा० एम० वी० हाटे की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल गठित किया था। इस अध्ययन दल की रचना निम्न प्रकार से थी :—

1. डा० एम० वी० हाटे, मुख्य अधिकारी, कृषि ऋण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक।
2. श्री बी० सी० पटनायक, उपसचिव, बैंकिंग स्कंध, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय।
3. श्री एम० एम० बत्रा, निदेशक (वस्त्र), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम।
4. श्री पी० शंकर, आई० ए० एस०, निदेशक, हथकरघा और वस्त्र, तामिल नाडु सरकार।
5. श्री एस० एन० शुक्ल, निदेशक, हथकरघा, उत्तर प्रदेश सरकार।
6. श्री एम० पी० पिंटो, निदेशक, हथकरघा व वस्त्र, महाराष्ट्र सरकार।
7. श्री बी० बी० मोहन्ती, निदेशक, हथकरघा व वस्त्र, उड़ीसा सरकार।
8. सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, बिहार सरकार।
9. प्रबन्ध निदेशक, राज्य सहकारी बैंक, कर्नाटक।
10. प्रबन्ध निदेशक, राज्य सहकारी बैंक, आन्ध्र प्रदेश।
11. श्री एल० वी० सप्तऋषि, हथकरघा उप विकास आयुक्त, सदस्य सचिव।

2. अध्ययन दल के निम्नलिखित कार्य विषय थे :—

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्वित्त से, सहकारी समितियों/बैंकों के द्वारा हथकरघा बुनकरों को वित्तीय सहायता देने की योजना की कार्यप्रणाली का सामान्य पुनरीक्षण करना तथा यदि आवश्यक हो तो, इस योजना के कार्यों में संशोधन का सुझाव देना तथा योजना के कार्यों में सुधार लाना।

(ख) हथकरघा बुनकरों को वित्तीय सहायता देने के लिए अपेक्षित ऋण की राशि निर्धारित करने में केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों द्वारा निभाई जाने वाली विशिष्ट भूमिका का अध्ययन करना तथा इस उद्देश्य के लिए बैंकों की अधिक प्रभावशाली कार्यों को बताना ताकि ऋण अनुमानों तथा ऋण सीमा निर्धारित करने की वास्तविकता का पता चल सके।

(ग) उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए अगले दो अथवा तीन वर्षों के दौरान शीर्ष समितियों सहित हथकरघा बुनकर सहकारी

समितियों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना और वित्तीय आवश्यकताओं की सीमा को मोटे रूप से बताना और इस सम्बन्ध में प्राथमिक बुनकर समितियों/शीर्ष समितियों आदि और साथ ही सहकारी वित्तीय बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए उचित सिफारिशें करना।

(घ) सहकारी विभाग, उद्योग विभाग हथकरघा निदेशालय और सहकारी बैंकों के बीच हथकरघा सम्बन्धी वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य स्तर और जिला अक्षेत्रीय स्तर पर समन्वय के लिए व्यवस्था के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना और वर्तमान कमियों को, यदि कोई हो, उनका उल्लेख करना और उनमें सुधार लाने के लिए उचित सिफारिशें करना।

(ङ) उपर्युक्त कार्य विषय से सम्बन्धित अन्य किसी समस्या पर विचार करके सिफारिशें करना।

अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में हथकरघा वित्त की योजनाओं के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित 53 सिफारिशें की गई थीं। इन सिफारिशों की, श्री मणि नारायणस्वामी, हथकरघा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में अन्तः मन्त्रालय समिति द्वारा गहराई से जांच की गई। प्रत्येक सिफारिश पर विचार विमर्श करने के परिणामस्वरूप लिये गये निर्णय को परिशिष्ट में दिखाया गया है।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई अध्ययन दल की सिफारिशों को हथकरघा उद्योग के प्रभारी विभिन्न अभिकरणों और उद्योग के लिये वित्तीय संस्थानक की व्यवस्था करने और विकास के लिये उत्तरदायी अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है।

एम० ए० रंगास्वामी, विशेष सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति राष्ट्रपति के निजी और मिलिट्री सचिवों, प्रधान मंत्री के कार्यालय, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, योजना आयोग, भारत के महालेखा परीक्षक और नियंत्रक, हथकरघा/उद्योग के राज्य निदेशक, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, राज्य शीर्ष सहकारी बैंक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को भी भेज दी जाये।

एम० ए० रंगास्वामी, विशेष सचिव

'परिशिष्ट'

हथकरघा वित्त सम्बन्धी भारतीय रिजर्व बैंक योजना की कार्यप्रणाली के पुनर्विलोकन के लिये अध्ययन दल की सिफारिशों पर लिये गये निर्णय को दर्शाने वाला विवरण।

सिफारिशों का सारांश		दिया गया निर्णय
1	2	3
1.	विभिन्न राज्यों में हथकरघा वित्त योजना का प्रभाव स्पष्ट रूप से भिन्न-भिन्न है। अधिकांश राज्यों में योजना की जो कम प्रगति पाई गई है उसका कारण मुख्यतः निम्नलिखित हो सकता है। उद्योग विभाग तथा सहकारिता विभाग का समन्वय न होने, कमजोर या निष्क्रिय समितियों को पुनः कार्यक्रम बनाने के लिये गम्भीर प्रयास न किये जाने और वित्तपोषक बैंकों द्वारा विकास के मामले में पर्याप्त रुचि न लेने के कारण सहकारी बुनकर संस्थाओं का विन्यास कमजोर हो गया था। कई राज्यों में प्राथमिक तथा शिखर स्तरों पर बुनकर सहकारी विन्यास में घटक निष्क्रिय और कमजोर समितियां रही हैं और ये संस्थाएं योजना के अंतर्गत रिजर्व बैंक से उपलब्ध पुनर्वित्त सुविधाओं का लाभ उठाने में असमर्थ रही हैं। अभी भी काफी समितियां रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत कार्य पद्धति का अनुसरण नहीं करती। उत्पादन व बिक्री स्वरूप के आधार पर उनका गठन नहीं किया जाता। सोलह राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कुल समितियों की संख्या में निष्क्रिय समितियों का संख्या का अंश 30 जून 1976 को 1/3 से भी अधिक था और बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में समितियों की कुल संख्या में निष्क्रिय समितियों की संख्या का अंश 45 प्रतिशत और 94 प्रतिशत के बीच भिन्न-भिन्न था। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा जैसे राज्यों में निष्क्रिय समितियों की सदस्य संख्या सक्रीय समितियों की संख्या से भी अधिक थी और कर्नाटक, उड़ीसा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में निष्क्रिय समितियों की सदस्य संख्या अपेक्षाकृत काफी अधिक थी। अतः हम यह सिफारिश करते है कि राज्य सरकारों के सहकारिता और उद्योग/हथकरघा विभागों को चाहिये कि वे बुनकर समितियों के पुनर्निर्माण के लिये और जहां कहीं आवश्यक हो, उसके पुर्नगठन के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम बनायें, ताकि छठी योजना की अवधि के अंत में केवल ऐसी सक्षम समितियां विद्यमान हों, जो हथकरघा वित्त की योजना के अन्तर्गत रिजर्व बैंक से उपलब्ध पुनर्वित्त सुविधाओं का लाभ उठा सकें। हथकरघा और बिजली चालित करघा बुनकरों को	दिनांक 8 जून, 1978 को उद्योग मंत्री की अध्यक्षतता में हुए हथकरघा मंत्री के सम्मेलन में राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों से प्रार्थना की गई है कि बुनकर समितियों के पुर्नस्थापन के लिये तथा छठी योजना की अवधि के दौरान उनके पुनर्गठन के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाये तथा सहकारिता क्षेत्र में न केवल 60 प्रतिशत बुनकरों को लाने का लक्ष्य प्राप्त कर सकें परन्तु जहां तक संभव हो उससे भी अधिक स्तर तक सहकारिता क्षेत्र में लाने का प्रयत्न करें। बुनकर समितियों को पुनर्जीवित करने तथा नई समितियां गठित करने के लिये राज्य सरकारें केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत दी गई धनराशि का भी उपयोग कर सकती हैं।

1	2	3
	काधिक मात्रा में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से बुनकर समितियों को पुनः कार्यक्षम बनाने/पुनर्गठित करने के लिए राज्य सरकारें शेयर पूंजीगत सहायता प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय सरकार की योजना का लाभ उठा सकती हैं ('पैराग्राफ 3.7')	
2.	केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सदस्यों के अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने के लिये कमजोर मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सहायता प्रदान की जाती है। कमजोर बुनकर समितियों के लिये भी एक इसी प्रकार की योजना बनायी जाए ताकि वे कतिपय परिस्थितियों के अंतर्गत अपनी अशोध्य आस्तियों को बट्टे खाते डाल सकें और इस प्रकार बैंकों से वित्त प्राप्त करने के लिये वे पात्र हो जाएं। इन समितियों को सीमान्त सहायता प्रदान करने के लिये भी व्यवस्था की जाए। ('पैराग्राफ 3.8')	राज्य सरकारें कमजोर हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के अशोध्य ऋणों और हानियों के बट्टे खाते में डालने की योजना बनायें ताकि बुनकर बैंक से वित्त प्राप्त करने के पात्र हो सकें राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार इन समितियों को सीमान्त योजना बनाने पर विचार करेगी।
3.	बुनकर समितियों का पर्यवेक्षण करने के लिये उपलब्ध कर्मचारी भी सामान्यतः काफी अपर्याप्त होते हैं। इन समितियों का पर्यवेक्षण करने के लिये भारत सरकार ने 1956 में मानदंड निर्धारित किये थे। इन मानदंडों में यह प्रावधान था कि हर 10 समितियों के लिये एक पर्यवेक्षक हो और हर 3 पर्यवेक्षकों के कार्य का निरीक्षण करने के लिये एक निरीक्षक हो। हम यह सिफारिश करते हैं कि राज्य सरकारों को चाहिए कि वे बुनकर समितियों का बारीकी से पर्यवेक्षण करने के निमित्त पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नियुक्त करें। यह कर्मचारी उस विभाग से संबद्ध हों जो हथकरघा विकास के लिए कार्यक्रम बनाने तथा उसे कार्यान्वित करने के लिये जिम्मेदार हो। उन्हें चाहिये कि वे बुनकर समितियों का वित्तपोषण करने वाले बैंकों के पर्यवेक्षकों/निरीक्षकों के साथ भी निकट संपर्क रखकर कार्य करें। (पैराग्राफ 3.9)	स्वीकृत। राज्य सरकारों से प्रार्थना की जा रही है कि इन मापदण्डों के आधार पर उचित कार्यवाही करें। कर्मचारियों की नियुक्ति का मानदंड और ढांचा प्रत्येक राज्य की वास्तविक आवश्यकता पर निर्भर करेगा।
	छठी योजना में यह परिकल्पना की गयी है कि देश में स्थित हथकरघों की कुल संख्या में सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले हथकरघों के अनुपात को बढ़ाकर कम से कम 60 प्रतिशत कर दिया जाए। इस कार्यक्रम के लिये ऋण सहायता तब तक नहीं मिल सकती जब तक यह कार्यक्रम सक्रिय करघों को सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाने से संबंधित नहीं होता। अतः हम यह जोरदार सिफारिश करते हैं कि राज्य सरकारें अधिक सक्रिय करघों को सहकारी क्षेत्र के भीतर लाने का प्रयास करें (पैराग्राफ 3.10)	सिफारिश सं० 1 के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय अनुसार।
5.	राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल पंजाब, हरियाणा और असम जैसे राज्यों में स्थित अधिकांश बैंकों को बुनकर समितियों को वित्त प्रदान करने में तथा हथकरघा वित्त की योजना को कार्यान्वित करने में अभ्यस्त होने के लिये अभी सूत्रपात करना है। हम यह सिफारिश करते हैं कि सहकारी बैंकों तथा सहकारी विभाग को चाहिये कि वे हथकरघा वित्त की योजना से मध्यवर्ती बैंकों को भलीभांती अवगत करने पर विशेष ध्यान दें। योजना को कार्यान्वित करने में अपनायी जाने वाली क्रियाविधि, अनुशासन आदि के संबंध में बैंक बुनकरों तथा समितियों को उचित रूप से मार्गदर्शन देने, सलाह देने तथा अनुदेश देने की स्थिति में हों। हम यह भी सुझाव देते हैं कि राज्य सरकारों के संबंधित विभागों तथा सहकारी बैंकों के अधिकारियों के लिये योजना के अंतर्गत सहकारी बुनकर समितियों के वित्त-पोषण पर रिजर्व बैंक/राज्य सरकारें उचित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करें (पैराग्राफ 3.11)	वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय संस्थान, सहकारी प्रबन्ध विपणन और प्रबन्ध के कार्यक्रम आयोजित करेगी (2) भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों के उच्च स्तरीय अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करेगा और सहकारी बैंको के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिये कृषि बैंकिंग कालेज पूने में हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के वित्तपोषण के लिये/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोग करेगा। नागरिक पूर्ति व सहकारिता विभाग सहकारी प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद की सलाह से सहकारी बैंकों के मध्यवर्ती और कनिष्ठ स्तर के प्रशिक्षण के लिये क्षेत्रीय सहकारी प्रशिक्षण कालेजों और कनिष्ठ प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण का आयोजन करेगा।
6.	कतिपय मध्यवर्ती बैंक बुनकर समितियों के वित्त पोषण में पर्याप्त रूचि नहीं ले रहे हैं हमारे विचार में बुनकर समितियों की समस्याओं के प्रति बैंकों का यह उदासीन दृष्टिकोण न्यायोचित नहीं है। हथकरघा उद्योग एक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र है। उद्योग मंत्री द्वारा 23 दिसंबर 1977 को संसद के सामने प्रस्तुत की गयी भारत सरकार की नयी औद्योगिक नीति में इस उद्योग की प्राथमिकता के आधार पर सहायता करने की आवश्यकता पर बल दिए गए हैं।	इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और सहकारी बैंकों को एक परिपत्र भेजेगा। आगामी वर्षों में हथकरघा क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में धनराशि देने के लिये समूचे देश में सहकारी बैंकों को अधिक से अधिक शामिल करने के लिये हथकरघा विकास आयुक्त रिजर्व बैंक के समन्वय से उद्देश्य सहित अभियान आयोजित करेगा।

1	2	3
	अतः हम यह सिफारिश करते हैं कि राज्य सहकारी बैंक अपने ही हित में तथा राष्ट्रीय नीति के परिप्रेक्ष्य में शिखिर बुनकर समितियों का वित्तपोषण करने में अधिकाधिक योगदान दें। रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त अग्रिमों को वे केवल अनुपूरक निधियों के रूप में मानें। मध्यवर्ती सहकारी बैंक भी पात्र बुनकर समितियों को दिये जाने वाले अपने अग्रिमों में बढ़ोतरी कर लें क्योंकि उन्हें रिजर्व बैंक से पूरी सीमा तक पुनर्वित्त प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया गया है (पैराग्राफ 3.13)	
7.	बैंकों के ब्याज उपदान संबंधी दावों तथा बुनकर समितियों के छूट संबंधी दावों के निपटान में राज्य सरकारें अनुचित विलंब करती आ रही हैं। अतः हम यह सिफारिश करते हैं कि राज्य सरकारें वार्षिक नियोजित योजनाओं के लिए इस प्रकार पर्याप्त मात्रा में बजट में व्यवस्था करें कि राज्य सरकारों पर किये जाने वाले ब्याज, उपदान तथा छूट संबंधी दावों की पूर्ति करने के लिए, पर्याप्त राशि हो तथा वाले करने की तारीख से 3 महीनों के भीतर राशि निश्चित रूप से अदा की जा सके। ऋण की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा को देखते हुए आगामी वर्षों में वार्षिक राज्य योजनाओं में भी ब्याज उपदान के लिए अधिक राशि की व्यवस्था करनी होगी (पैराग्राफ 3.14)	स्वीकृत। राज्य सरकारों को तदनुकूल सूचना दे दी जायेगी।
8.	कुछ एक मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(4)ग के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 17(2)(खख) के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा बुनकर समितियों का वित्तपोषण करने के लिए मंजूर की गयी ऋण सीमाओं के लिए गारंटी प्रलेख निष्पादित करने में संघ शासित क्षेत्रों के संदर्भ में राज्य सरकारों/केन्द्रीय सरकार की ओर से भी विलंब हुआ है। अतः हम यह सिफारिश करते हैं कि बुनकर समितियों का वित्तपोषण करने के लिए तथा कुटीर और लघु उद्योगों के 22 स्पूल समूहों के वित्तपोषण के लिए जिनके संदर्भ में भी रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त उपलब्ध है, राज्य सहकारी बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिये जाने वाले अग्रिमों के मामले में सरकारें एक ही समय पर लगातार तीन वर्षों की अवधि के लिए चलने वाली एक ही गारंटी निष्पादित करें (पैराग्राफ 3.15)	स्वीकृत। राज्य सरकारों से यह प्रार्थना की जायेगी कि वे तीन वर्षों की अवधि के लिये एक जारी रहने वाली गारंटी लागू करें।
9.	मध्यवर्ती सहकारी बैंक केवल उन्हीं बुनकर समितियों को अधिकाधिक मात्रा में अग्रिम प्रदान कर सकते हैं, जो सक्षम इकाइयां हैं और जिनके पास अपने वैतनिक सचिव नियुक्त नहीं हैं। ऐसी समितियां देश के अधिकांश भागों में आम तौर पर पायी जाती हैं। जब तक समितियों के पास अपने वैतनिक सचिव नहीं होते तब तक उनमें अपने कारोबार का विस्तार करने तथा उसे कारगर ढंग से चलाने की क्षमता नहीं आएगी। हम यह सुझाव देते हैं कि समितियों को कर्मचारियों की नियुक्ति के हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के निमित्त भारत सरकार एक योजना बनाये। राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से ऐसी सहायता प्राप्त कर सकती हैं और बाद में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए समितियों की सहायता प्राप्त कर सकती हैं और बाद में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए समितियों की सहायता कर सकती हैं। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारें अपने वार्षिक योजनागत प्रावधानों से समितियों को प्रबन्ध-तन्त्रगत सहायता प्रदान करने के प्रश्न पर भी विचार कर सकती हैं (पैराग्राफ 3.17)	स्वीकृत। केन्द्रीय सरकार सहकारी समितियों को स्टाफ, की नियुक्ति के लिये वित्तीय सहायता देने हेतु एक योजना बनायेगा। राज्य सरकारों से यह भी प्रार्थना की जायेगी कि वे अपने वार्षिक योजनागत प्रावधानों से समितियों को प्रबन्ध तन्त्रगत सहायता प्रदान करने के प्रश्न पर भी विचार करें।
10.	हम यह भी सिफारिश करते हैं कि समितियां बुनकरों को केवल एक या दो जामिनों के आधार पर तामकों कार्य लाभदायक ढंग से चलने के लिए अपेक्षित मात्रा तक धागे की भी अग्रिम रूप से पूर्ति करें। उन्हें चाहिए कि वे बुनकरों को जारी की गयी धागे की कुल गांठों के मूल्य के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक पारिश्रमिक की अग्रिम अदायगी उन्हें करें (पैराग्राफ 3.18)	भारतीय रिजर्व बैंक, उद्योग हथकरघा निदेशक तथा सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को लिखेगा जोकि उसके बाद इस संबंध में प्राथमिक सहकारी हथकरघा बुनकर समितियों को आवश्यक हिदायतें जारी करेंगे।
11.	हालांकि बैंकों द्वारा बुनकर समितियों को उत्पादन और विपणन संबंधी प्रयोजनों के लिये दिये जाने वाले अग्रिमों में समग्रता की दृष्टि से वृद्धि हुई है, फिर भी, बैंकों द्वारा प्रदान किये जाने वाले कुल अग्रिमों में ऐसे अग्रिमों का अंश पिछले	स्वीकृत। उद्देश्य सहित अभियान जैसा कि सिफारिश संख्या 6 (पैरा 3.13) में प्रस्तावित किया गया है और हथकरघा विकास आयुक्त के परिपत्र संख्या, 15015/76

1	2	3
	तीन वर्षों के दौरान लगभग स्थिर रहा है। यह स्थिति बिलकुल ही संतोषजनक नहीं है। हम यह सिफारिश करते हैं कि राज्य तथा मध्यवर्ती सहकारी बुनकर बैंक समितियों का वित्तपोषण करने को अत्यधिक प्राथमिकता दें। वे लघु कृषकों के वित्तपोषण की तरह इन समितियों के वित्तपोषण में अधिक मात्रा में अपना योगदान दें (पैराग्राफ 4.2)	कोष दिनांक 20-11-1976 द्वारा राज्य स्तर समन्वय समितियां जो कि राज्यों में पहले से ही कार्य कर रही हैं, की आमतौर पर नियमित बैठकों द्वारा ये उद्देश्य प्राप्त किये जायेंगे।
12. वर्तमान समितियों का सक्षम आधार पर पुनर्गठन करने और नयी सक्षम समितियों का गठन तथा प्रवर्तन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के संबंधित विभागों की है। राज्य सरकारों के इन कार्यक्रमों में राज्य तथा मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है और सरकारों को भारी मात्रा में उनकी सहायता पर निर्भर रहना होगा। अतः बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपनी विकासपरक तथा प्रवर्तक भूमिका को व्यापक बनायें तथा विकास कार्यक्रमों में राज्य सरकारों की सक्रिय रूप से सहायता करें (पैराग्राफ 4.3)	स्वीकृत। भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों द्वारा सहकारी बैंकों को उपयुक्त हिदायतें भेज दी जायेंगी।
13. सहकारी बैंकों के माध्यम से उद्योगों के वित्त पोषण से संबंधित कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की थी '1968' कि प्रत्येक राज्य सहकारी बैंक द्वारा तथा बड़े मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा सक्षम औद्योगिक खंड स्थापित किये जाएं। इस खंड को नीति तथा उससे संबद्ध मामलों पर विशेष रूप से गठित तकनीकी समूहों से मार्गदर्शन लेना होगा। परन्तु अधिकांश बैंकों ने इस कारण इन सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया है कि चूंकि औद्योगिक संस्थाओं के साथ उनका कारोबार अधिक नहीं है, अतः औद्योगिक खंड तथा तकनीकी समूह की स्थापना करना उनके लिए लाभदायक प्रस्ताव नहीं होगा। हम यह सुझाव देते हैं कि बैंकों को इस मामले पर दूरदर्शिता पूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समितियों का सक्षम पुनर्गठन तथा नयी समितियों की स्थापना हो जाने पर वे औद्योगिक समितियों के साथ काफी कारोबार होने की आशा कर सकते हैं (पैराग्राफ 4.4)	भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को पहले दी गई हिदायतों के अतिरिक्त और भी हिदायतें जारी की जायेंगी।
14. आगामी पांच वर्षों की अवधि में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हथकरघों के अनुपात को बढ़ा कर 60 प्रतिशत कर देने के भारत सरकार के कार्यक्रमों के समर्थन में राज्य तथा मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को अपनी वित्तीय तथा विकासपरक भूमिकाओं को व्यापक बनाना होगा। इस संदर्भ में हम यह सुझाव देते हैं कि ऐसे प्रत्येक मध्यवर्ती सहकारी बैंक को, जिसके परिचालन क्षेत्र के अंतर्गत सक्रिय या निष्क्रिय 5000 या अधिक करघे आते हों, बैंक में केवल सहकारी बुनकर समितियों का विकास तथा वित्त पोषण संबंधी कार्य करने के लिए एक अलग कक्ष स्थापित किया जाए। इस कक्ष को अधिक संख्या में करघों को सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत लाने, ऋण प्राप्त करने के संबंध में समितियों को औपचारिकताओं से अवगत कराने तथा समितियों की कठिनाइयों को तत्काल दूर करने में पहल करनी होगी। बुनकर समितियों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने तथा उन्हें हथकरघा/उद्योग निदेशक/पंजीयक और रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी इस कक्ष को निभानी होगी 'पैराग्राफ 4.5'।	भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारें केन्द्रीय जिला सहकारी बैंकों को उपयुक्त हिदायतें भेजेंगी।
15. हम यह सुझाव भी देते हैं कि जिन राज्यों में 30,000 या उनसे अधिक हथकरघे कार्यरत हैं, उन राज्यों में राज्य सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे ऐसा एक अलग कक्ष स्थापित करें जो केवल बुनकर समितियों का प्रवर्धन, विकास और वित्तपोषण करने का कार्य करे तथा बुनकर समितियों की तुलना में मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के कार्यकलापों को समन्वित करे (पैराग्राफ 4.6)	भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारें केन्द्रीय जिला सहकारी बैंकों को उपयुक्त हिदायतें भेजेंगी।
16. उन बुनकर समितियों के मामले में, जिनके समस्त सदस्य गरीब हैं, सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे अधिक न सही, परन्तु उच्चतर वित्तपोषण एजेन्सियों से जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, कम से कम उसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करें। अधिकांश बैंक अपने वित्तीय श्रोतों से बुनकर समितियों को प्रदान किये गये ऋणों पर अधिक दर पर ब्याज लेते हैं। यह उचित नहीं है। यदि वे रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त सुविधाएं प्राप्त न करें तब भी उन्हें चाहिए कि वे उसी दर पर ब्याज लें जिस दर	स्वीकृत। भारतीय रिजर्व बैंक तथा राज्य सरकारें राज्य सहकारी बैंकों को उपयुक्त हिदायतें भेजेंगी। समय-समय पर सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को उन बैंकों के मामलों की जांच करनी चाहिए जो हथकरघा क्षेत्र के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर से ज्यादा ब्याज दर लेते हैं तथा इस मामले को ठीक करने के लिये उचित कार्यवाही करके

1	2	3
	पर उन्हें बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त होता और यदि वे चाहें तो सरकार से उपदान के लिए दावा करें। हम यह सुझाव देते हैं कि सभी बैंक यह क्रियाविधि अपनाएं और यदि कोई बैंक समितियों से अधिक दर पर ब्याज ले तो राज्य सरकारों के संबंधित विभाग को इस मामले में उचित कार्यवाही करनी चाहिए (पैराग्राफ 4.10)	हथकरघा विकास कार्यालय को सूचित करें।
17.	बुनकर समितियों के विकास में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक के उधारों के संबंध में न्यूनतम मार्जिन, शेयरों से ऋणों 1:40 के अनुपात पर संबंध आदि की जो छूटें दे रखी हैं, उनमें कोई भी सहकारी बैंक समितियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए कमी न लाये (पैराग्राफ, 4.11)	स्वीकृत। भारतीय रिजर्व बैंक/राज्य सरकारें सहकारी बैंकों को उपयुक्त हिदायतें भेजेंगी।
18.	प्राथमिक बुनकर समितियों को मंजूर की जाने वाली अतिरिक्त ऋण सीमाओं के लिए रिजर्व बैंक ने 25 प्रतिशत का मार्जिन निर्धारित किया है, जब कि नियमित ऋण सीमाओं के मामले में उक्त मार्जिन 10 प्रतिशत है। मार्जिनों की दो विभिन्न दरें हमें औचित्ययुक्त प्रतीत नहीं होती। अतः हम यह सिफारिश करते हैं कि बैंकों द्वारा प्राथमिक बुनकर समितियों को नियमित तथा अतिरिक्त ऋण सीमाओं के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले अग्रिमों पर रिजर्व बैंक 10 प्रतिशत का एक समान मार्जिन निर्धारित करे (पैराग्राफ 4.12)	स्वीकृत। भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यक हिदायतें जारी करेगा।
19	हम यह सिफारिश करते हैं कि ऐसे मध्यवर्ती बैंकों द्वारा जिनके पास समितियों तथा उनके स्टाकों का पर्यवेक्षण करने की संतोषजनक व्यवस्थाएं विद्यमान हैं, प्राथमिक बुनकर समितियों को प्रदान की गयी अतिरिक्त सीमाओं की रिजर्व बैंक द्वारा उस हालत में अवश्य प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। जब बैंक अनुपूरक ऋण सीमा संबंधी अपने आवेदनपत्र प्रस्तुत करें और बैंकों द्वारा जिन समितियों का वित्तपोषण किया जाता है, वे समितियां सक्षम क्षमता की संभावनायुक्त हों और उन्होंने पूर्णकालिक वैतनिक सचिव नियुक्त किये हों (पैराग्राफ 4.13)	स्वीकृत। भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यक हिदायतें जारी करेगा।
20.	यदि मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की स्वाधिकृत निधियां रिजर्व बैंक द्वारा ऋण सीमाएं मंजूर किये जाने तक बुनकारों के वित्तपोषण में निवेशों को जारी रखने के लिए काफी अपर्याप्त हों तो हम यह सुझाव देते हैं कि राज्य सहकारी बैंक इस प्रयोजन के लिये आवश्यक अंतरिम वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी सहायता करें। इससे मध्यवर्ती बैंकों को उन अच्छी कार्यरत समितियों को रिजर्व बैंक द्वारा ऋण सीमाएं मंजूर किये जाने की प्रतीक्षा किये बिना ऋण सीमाओं का नवीकरण करने में सहायता मिलेगी जो ऋण सीमा की अवधि समाप्त होने पर निर्दिष्ट वित्तीय अनुशासन का पालन करती हैं (पैराग्राफ 4.16।	
21.	अल्पावधि ऋण-विन्यास का वित्तपोषण करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुशासन के अन्तर्गत मध्यवर्ती सहकारी बैंक तब पुनर्वित्त के लिए पात्र नहीं होता जब वर्ष के दौरान उसकी अतिदेय राशियां मांग देयताओं के 60 प्रतिशत से अधिक हो जाएं। अतः ऐसी परिस्थितियों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों तथा बुनकर समितियों को रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। हमारा यह विचार है कि बुनकर समितियों का वित्तपोषण करने के लिए मंजूर की जाने वाली ऋण सीमाओं के साथ संबद्ध करने के लिए रिजर्व बैंक के पास कोई संतोषजनक तथा विश्वसनीय कारण नहीं है। अतः हम यह सुझाव देते हैं कि जब तक बुनकर समितियां रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किये गये मानदण्डों की पूर्ति करती है और वे निर्धारित की गयी क्रियाविधि का पालन भी करती हैं, तब तक रिजर्व बैंक इन समितियों का वित्तपोषण करने के लिए मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को ऋण सीमाएं मंजूर करने पर विचार कर सकता है, चाहे भारी मात्रा में विद्यमान अतिदेय राशियों के कारण कृषि कार्यों के लिए अल्पावधि ऋण सीमाएं मंजूर की गयी हों या नहीं परन्तु शर्त यह है कि बैंक की वित्तीय स्थिति और कार्य संबंधी स्थिति इतनी विपरीत अवस्था में न हो कि वे उच्चतर वित्तपोषक एजेन्सियों द्वारा प्रदान किये जाने वाले किसी ऋण का उपयोग करने में असमर्थ हों। बुनकर समितियां अपने आप में सक्षम हों, कम से कम क्षमता की संभावनाओं से युक्त से और	स्वीकृत। भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यक हिदायतें जारी करेगा

1	2	3
	कारोबार को संभालने के लिए उनके पास पूर्णकालिक वैतनिक सचिव हों (पैराग्राफ 4, 19)	
22.	रिजर्व बैंक ने हाल ही में मार्च 1978 में बुनकर समितियों का वित्तपोषण करने के लिए दिये जाने वाले अपने पुनर्वित्त की दर को बैंक दर से 1½ प्रतिशत कम दर से घटाकर बैंक दर से 2 1/2 प्रतिशत कम कर दिया है। इसके अलावा ऐसे अलग अलग बुनकर, जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/कृषक सेवा समितियों/बड़े आकारवाली बहु उद्देशीय समितियों के सदस्य हैं, 9½ प्रतिशत की दर पर वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए बैंक दर से 3 प्रतिशत कम दर पर रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त उपलब्ध होगा। समग्र राष्ट्रीय नीतियों तथा विचारों के परिप्रेक्ष्य में पुनर्वित्त की दर में और कटौती करने पर विचार करना रिजर्व बैंक के लिए संभव नहीं है। फिर भी यदि सरकार द्वारा आवश्यक उपबंध किया जाए तो बुनकर समितियों तथा उन अलग-अलग कृषकों से न्यून दर पर ब्याज लिया जा सकता है, जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/कृषक सेवा समितियों/बड़े आकार-वाली बहुउद्देशीय समितियों के सदस्य भी हैं (पैराग्राफ 4.21)	पी० ए० सी०एस०/०एफ० एस० एस०/एन० ए० एम० पी० एस०, में आने वाले बुनकरों को इतनी ब्याज इमदाद दी जानी चाहिए ताकि इन समितियों को अनुचित कठिनाई न सहनी पड़े अर्थात हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के सदस्यों को। राज्य सरकारों की वार्षिक योजना की संबंधित योजना के अन्तर्गत इसकी व्यवस्था की जायेगी।
23.	हमारा यह विचार है कि यदि बैंकों को ऋण संबंधी आवेदनपत्रों की समितिवार जांच करने की शक्ति सौंपी जाए तो वे अधिक जिम्मेदारी का निर्वाह कर सकेंगे और अधिक शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे। अतः हम यह सिफारिश करते हैं कि मध्य-वर्ती सहकारी बैंकों के ऋण कार्य-क्रमों तथा विगत कार्यों के आधार पर बुनकर समितियों का वित्तपोषण करने के लिए उन्हें समग्र ऋण सीमाएं मंजूर करने के प्रश्न पर रिजर्व बैंक विचार करें। अलग-अलग बुनकरों के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित कतिपय मानदण्डों के आधार पर ऋण सीमाएं निर्धारित करने की जिम्मेदारी बैंकों को ही सौंप दी जाए। इस संबंध में रिजर्व बैंक मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के मार्गदर्शन के लिए कतिपय निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करे और बैंकों से इस	स्वीकृत। भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यक हिदायतें जारी करेगा

1	2	3
	प्रकार की आवधिक विवरणियां प्राप्त करे जो उपलब्ध ऋण की जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों। परन्तु रिजर्व बैंक द्वारा केवल उन्हीं मध्यवर्ती बैंकों तथा बुनकर समितियों के लिए समग्र ऋण सीमायें मंजूर की जाएं जिनके पास पर्यवेक्षण संबंधी पर्याप्त व्यवस्थायें हैं, (पैरा 4.23)	
24.	हम यह सिफारिश भी करते हैं कि किसी शिखर बुनकर समिति के लिए उसकी स्वाधिकृत निधियों की 3 गुनी ऋण सीमा मंजूर करने की जो उच्चतम सीमा निर्धारित की गयी है, उसे हटाने के संबंध में रिजर्व बैंक विचार करे: क्योंकि यह उच्चतम सीमा निर्धारित है कि शिखर समिति को मंजूर की जाने वाली ऋण सीमा उसकी विनियोजन योग्य स्वाधिकृत निधियों की 9 गुनी से अधिक न हो ('पैरा 4.24)	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई है।
25.	कुछ समय से राज्य सरकारें बुनकर समितियों की शेयर पूंजी को मजबूत बनाने के संबंध में काफी गंभीर नहीं रही हैं। हम यह सिफारिश करते हैं कि बुनकर समितियों की शेयर पूंजी में अभिदान करने की बात को राज्य सरकारें अत्यधिक महत्व दें और छठी योजना अवधि में जो केन्द्रीय निधियां उपलब्ध हैं उनके अंतर्गत उक्त योजना का अधिकतम लाभ चालू हुए वित्तीय साधनों का उचित ढंग से आवंटन कर इस संबंध में योजना को पुनः अमल में लायें (पैरा 5.4)	यह एक चालू कार्यक्रम है और अधिकांश राज्य इस योजना का पूर्ण लाभ उठा रहे हैं सभी राज्यों से प्रार्थना की जा रही है कि इस कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दें।
26.	विभिन्न वित्तीय दबावों के कारण राज्य सरकारें कदाचित बुनकर समितियों की शेयर पूंजी में बड़े पैमाने पर अभिदान नहीं कर पायेंगी। अतः कतिपय वित्तीय संस्थाओं द्वारा बुनकर समितियों की शेयर पूंजी में अभिदान करने के लिए ऋण प्रदान कर राज्य सरकारों की सहायता की जानी चाहिये। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एक ऐसी उपयुक्त एजेन्सी है जो प्राथमिक बुनकर समितियों की शेयर पूंजी में अभिदान करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता कर सकती है। चूंकि इस जिम्मेदारी	सिद्धांत रूप से स्वीकृत। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से एक विस्तृत योजना तैयार करने के लिये प्रार्थना की गई है।

1	2	3
	का निर्वाह करने के लिए निगम को निरंतर कारगर ढंग से अतिरिक्त निधियां प्रदान नहीं की गयी है, निगम संप्रति अपनी निधियों से केवल शिखर/क्षेत्रीय बुनकर समितियों को सहायता प्रदान करता है और प्राथमिक बुनकर समितियों को कोई सहायता नहीं दी जाती । अतः हम यह सिफारिश करते हैं कि भारत सरकार द्वारा निगम को पर्याप्त निधियां प्रदान की जाएं, ताकि प्राथमिक बुनकर समितियों को शेयर पूंजी में अभिदान करने के लिए वह वित्तीय सहायता प्रदान कर सकें, (पैरा 5.9)।	
27.	हम यह भी सिफारिश करते हैं कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रदान की जानेवाली सुविधाओं का शिखर बुनकर समितियां अधिक मात्रा में उपयोग करें । यह निगम शिखर बुनकर समितियों को राज्य सरकारों के जरिए न केवल शो रूमों और गोदामों का निर्माण कार्य करने और उन्हें खोलने के लिए अपितु उनका नवीकरण करने के लिए भी सहायता दे सकता है । (पैरा 5.13)।	इस संबंध में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से एक विस्तृत योजना तैयार करने की प्रार्थना की गई है।
28.	हथकरघा कपड़े की लागत प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। अतः रिजर्व बैंक द्वारा प्रति करघा निर्धारित वित्त की मात्राओं का आवधिक निरीक्षण करने के लिए एक तन्त्र बनाया जाना चाहिए । हम यह सुझाव देते हैं कि रिजर्व बैंक स्वयं ही बुनकर समितियों का वित्तपोषण करने के लिए अपेक्षित वित्त की मात्राओं का लगभग तीन वर्षों में एक बार अथवा यदि आवश्यक हो तो उसके पहले पुनरीक्षण करे। (पैरा 5.14)।	स्वीकृत / भारतीय रिजर्व बैंक दिसम्बर 1978 तक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के वित्तपोषण मानदंड का पुनरीक्षण करेगा तथा इस पुनरीक्षण के आधार पर की गई सिफारिशों के अनुसार और भी पुनरीक्षण किये जायेंगे।
29.	यह पाया गया था कि कतिपय मध्यवर्ती सहकारी बैंक समितियों का वित्तपोषण वित्त की उन मात्राओं के अनुसार नहीं करते जो रिजर्व बैंक से प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं । हम यह सिफारिश करते हैं कि मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे प्रति करघा वित्त की मात्रा के अनुसार प्राथमिक बुनकर समितियों को अपने यहां पंजीकृत नये करघों के संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान करें बशर्ते	स्वीकृत । भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को उपयुक्त हिदायतें भेजेगा ।

1	2	3
	कि वे पर्यवेक्षण संबंधी व्यवस्थाओं सक्षमता और वित्त की आवश्यकता के संबंध में संतुष्ट हो जाएं रिजर्व बैंक ऐसे अग्रिमों की पूरी राशि की प्रतिपूर्ति करने की स्वीकृति दे सकता है बशर्ते कि समितियों में किये गये नये करघों के पंजीकरण को हथकरघा निदेशक/राज्य सरकार का अन्य सक्षम अधिकारी प्रमाणित करे (पैरा 5.15)।	
30.	यह हो सकता है कि समिति के पास पंजीकृत कुछ करघों को किसी न किसी कारण से बेकार रखना पड़ा हो । हम यह सुझाव देते हैं कि इन करघों के सन्दर्भ में भी यदि समिति उन करघों को पुनः कार्यरत करना चाहे तो प्रति करघा वित्त की मात्रा के आधार पर ऋण सीमाएं उन करघों को पुनः कार्यरत करना चाहे तो प्रति करघा वित्त की मात्रा के आधार पर ऋण सीमाएं मंजूर की जा सकती हैं बशर्ते कि करघे कार्य करने की अच्छी स्थिति में हों । हथकरघा/उद्योग विभाग के क्षेत्र कर्मचारियों की विशेष सिफारिश के आधार पर अग्रिम मंजूर किये जाएं जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि किन कारणों से करघे बेकार पड़े हुए थे और क्या वे अब कार्य करने की अच्छी स्थिति में हैं : बैंकों द्वारा प्रदत्त ऐसे अग्रिम रिजर्व बैंक से प्रतिपूर्ति पाने के लिए पात्र हो सकते हैं (पैरा 5.15) ।	स्वीकृत । भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को उचित हिदायतें भेजेगा ।
31.	हम यह सुझाव देते हैं कि जब समितियां कोई ठोस और स्वीकार्य उत्पादन कार्यक्रम इस सन्दर्भ में आवश्यक पर्यवेक्षण व्यवस्थाओं के साथ प्रस्तुत करें तब रिजर्व बैंक उन्हें स्वीकार कर लें और तदनुसार उनकी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जाए । परन्तु सामान्यतः रिजर्व बैंक पूर्व वर्ष के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक प्रत्याशित उत्पादन के मूल्यांकन सम्बन्धी मानदण्ड का प्रयोग करें (पैरा 5.17)।	स्वीकृत । भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को उचित हिदायतें भेजेगा ।
32.	हम यह सिफारिश करते हैं कि नयी बुनकर समितियों और पुनः क्रियाशील बनायी जाने वाली निष्क्रिय समितियों के मामले में बैंकों द्वारा उनकी ऋण सम्बन्धी अपेक्षाओं	स्वीकृत । इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को उचित हिदायतें भेजेगा ।

1	2	3
	का मूल्यांकन अब तक की तरह एक वर्ष के बजाय उनके कामकाज के पहले दो वर्षों के लिए प्रदत्त प्रति करघा वित्त की मात्रा के आधार पर किया जाए और रिज़र्व बैंक बैंकों की समितियों को उनके द्वारा प्रदत्त ऐसे अग्रिमों की पूरी राशि की प्रतिपूर्ति कर दे (पैरा 5.18)।	
33. वर्तमान मानदण्डों के अनुसार शिखर बुनकर समितियों की ऋण सीमाएं रिज़र्व बैंक द्वारा सम्बन्धित वर्ष के दौरान उनकी प्रत्याशित बिक्री के 25 प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जाती है। ये सीमाएं इस अनुमान पर आधारित होती हैं कि वर्ष के दौरान कार्यकारी पूंजी की तुलना में चार गुनी बिक्री होगी। कतिपय सहकारी समितियों द्वारा यह संकेत दिया गया है कि केवल बिक्री की आदर्श स्थितियों के अन्तर्गत ही यह सम्भव है परन्तु देश में बिक्री की स्थितियों में इतना सुधार नहीं आया है कि कार्यकारी पूंजी की तुलना में तीन गुनी बिक्री हो सके। अतः हम यह सिफारिश करते हैं कि रिज़र्व बैंक कार्यकारी पूंजी में बिक्री की कुल राशि के अनुपात की व्यावहारिकता का पता लगाने के उद्देश्य से शिखर बुनकर समितियों का विस्तृत ब्यौरेवार अध्ययन करे और यदि आवश्यक पाया जाए तो शिखर बुनकर समितियों के लिए ऋण सीमाएं मंजूर करने से सम्बन्धित मानदण्डों को संशोधित करे (पैरा 5.22)।	स्वीकृत। यह अध्ययन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 30 नवम्बर, 1978 तक किया जायेगा तथा उसी अध्ययन के आधार पर उचित निर्णय लिया जायेगा।	
34. हम यह सिफारिश करते हैं कि रिज़र्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों को हथकरघा निवेशक या राज्य सरकार के किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अदायगी के लिए प्रमाणित पिछले तीन महीनों (सम्प्रति यह अवधि दो महीने है) की कुल छूट सम्बन्धी दावों को अथवा समय-समय पर स्वीकार किये गये ऐसे सभी दावों के अन्तर्गत पिछले महीने के अन्त तक की बकाया राशि, इनमें से जो भी कम हो—को रक्षा राशि के रूप में स्वीकृत करने की अनुमति दे (पैरा 5.24)	स्वीकृत। इस सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को उचित हिदायतें भेजेगा।	
35. हम यह भी सिफारिश करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को हथकरघा कपड़े की उधार बिक्री के सम्बन्ध में पिछले 3 महीनों (अब तक के 2 महीनों के बजाय) में खजानों/सरकारी विभागों को प्रस्तुत किये गये दावों की कुल राशि को भी शिखर बुनकर समितियों के उधारों के लिए रक्षा राशि के रूप में स्वीकृत करने की अनुमति दी जाये (पैरा 5.25)।	स्वीकृत। इस सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को उचित हिदायतें भेजेगा।	
36. हम यह सिफारिश करते हैं कि पंजीयक तथा राज्य सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करें कि प्रत्येक मध्यवर्ती सहकारी बैंक रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का पालन करता है और बुनकर समितियों की प्रारक्षित निधियों को समितियों के कारोबार में उपयोग के लिए तत्काल वितरित करता है (पैरा 5.26)।	स्वीकृत। भारतीय रिज़र्व बैंक/राज्य सरकारें इस विषय में सहकारी बैंकों को उचित हिदायतें भेजेंगी।	
37. हम यह सुझाव देते हैं कि जो करघे पालिएस्टर धागों को उपयोग में लाते हैं, उनके लिए रिज़र्व बैंक विशेष रूप से प्रति करघा 5,000 रु० के वित्त की मात्रा निर्धारित करे। यदि आवश्यक हो तो इस सन्दर्भ में चलाये गये अध्ययन के आधार पर अगले वर्ष स्थिति का पुनरीक्षण किया जा सकता है (पैरा 5.27)।	स्वीकृत। पोलिएस्टर वस्त्रों के उत्पादन के लिये हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों द्वारा नियत किया गया प्रति करघा का मापदण्ड जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 5,000 रुपये प्रति करघा का स्तर नियत किया गया है, में मानव निर्मित तथा मिश्रित वस्त्र भी शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक इन वस्त्रों के उत्पादन के लिये राज्य सरकारों/सहकारी बैंकों को धनराशि का मापदण्ड दर्शाते हुये उपयुक्त परिपत्र भेजेगा।	
38. असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, त्रिपुरा और मणिपुर के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित सहकारी बैंकों ने अब तक बुनकर समितियों के विकास, प्रवर्तन और वित्त-पोषण में रुचि नहीं ली है। वस्तुतः इनमें से किसी भी राज्य में अब तक हथकरघा वित्त की योजना को कार्यान्वित ही नहीं किया गया है। हमें यह जानकारी दी गयी है कि इन राज्यों की अधिकांश समितियां या तो कमजोर हैं या निष्क्रिय। असम में 30 नवम्बर, 1977 को विद्यमान 1,531 बुनकर समितियों में से लगभग 845 समितियां निष्क्रिय थीं। नागालैण्ड में 15 समितियों में से केवल 3 समितियां	स्वीकृत। राज्य सरकारों ने वर्ष 1976-77 से केन्द्रीय योजना सहायता से निष्क्रिय सहकारी हथकरघा बुनकर समितियों के पुनर्गठन/पुनर्स्थापन एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया है इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत 60 प्रतिशत सक्रिय बुनकरों को लाया जा सके तथा जहां सम्भव हो इससे अधिक के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।	

1	2	3
	सक्रिय थी । त्रिपुरा में स्थित 72 समितियों में से 43 समितियां निष्क्रिय थीं । मणिपुर और मिजोरम में स्थित क्रमशः 382 और 9 समितियों में से क्रमशः 170 और 6 समितियां निष्क्रिय थीं । इन राज्यों में सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले हथकरघों का अनुपात बहुत कम था और यह नागालैण्ड में स्थित 0.2 प्रतिशत से लेकर मणिपुर में स्थित 6.5 प्रतिशत तक अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न था । राज्य सरकारों को चाहिए कि वे इन समितियों का सक्षम आधार पर पुनर्गठन/पुनर्निर्माण करने के लिए शीघ्र कदम उठायें । बैंकों को अपनी विकासात्मक तथा प्रवर्तक की भूमिका को भी व्यापक बनाना चाहिए और अपने क्षेत्र में बुनकर समितियों के विकास में सहायता पहुंचानी चाहिए । इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर प्राथमिकता के आधार पर विशेष बल दिया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में भारत सरकार की ओर से भी अविलम्ब कार्रवाई की जानी चाहिए (पैरा 5.28) ।	
39.	समितियों को चाहिए कि वे अपने लिए निर्धारित जनता किस्मों के कपड़े के उत्पादन के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए गम्भीर प्रयास करें । बैंकों द्वारा इस प्रयोजन के लिए मंजूर की जाने वाली कार्यकारी पूंजीगत सहायता रिजर्व बैंक से प्रतिपूर्ति के लिए पात्र है (पैरा 5.29) ।	स्वीकृत । रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यक हिदायतें भेज दी जायेंगी ।
40.	शिखर बुनकर समितियों को ऋण सीमाएं मंजूर करते समय रिजर्व बैंक निर्यात विपणन ऋण की आवश्यकताओं को भी हिसाब में ले लें । जिन वस्तुओं का निर्यात किया गया है, परन्तु जिनका मूल्य खरीदार द्वारा तीन महीनों तक की अवधि में अदा नहीं किया गया है, उसे समितियों द्वारा बैंकों से लिये गये उधारों के सम्बन्ध में रक्षा राशि के रूप में मानने की अनुमति दी जाए । निर्यात के लिए विशेष किस्म के कपड़े के उत्पादन में अपनी ओर से या समितियों के माध्यम से समितियों द्वारा किए जाने वाले निवेशों को समितियों	स्वीकृत । जहां तक इन शिखर समितियों की निर्यात ऋण आवश्यकताओं का भारतीय रिजर्व बैंक सभी सम्बन्धितों को उचित हिदायतें भेजेगा जहां तक प्राथमिक बुनकर समितियों का सम्बन्ध है इन समितियों की उपलब्ध सामान्य ऋण सीमाओं के साथ-साथ निर्यात ऋणों की आवश्यकताओं के लिये निर्धारित करने हेतु 30 नवम्बर, 1978 तक अध्ययन कर लिया जायेगा ।

1	2	3
	को मंजूर की जाने वाली ऋण सीमाओं के उचित उपयोग के रूप में माना जाना चाहिए । जिन प्राथमिक बुनकर समितियों ने निर्यात आर्डर प्राप्त किये हैं उनकी ओर से रिजर्व बैंक उच्चतर सीमाएं मंजूर करने पर विचार करे, यदि संबंधित कपड़े की किस्मों के उत्पादन की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के बाद समितियों के निर्यात आर्डरों को पूरा करने के लिए ऋण की अधिक मात्रा आवश्यक पायी जाये (पैरा 5.30) ।	
41.	करघों की खरीद/नवीकरण और आधुनिकीकरण जैसे प्रयोजनों के लिए काफी अधिक उपदान सहित मध्यावधि ऋण अपेक्षित होते हैं। क्योंकि हथकरघा बुनकरों की चुकौती की क्षमता काफी सीमित होती है । हमारा यह विचार है कि इन प्रयोजनों के लिए बुनकरों की जिम्मेदारी है । अतः हम यह सिफारिश करते हैं कि राज्य सरकारें करघों की खरीद, नवीकरण और आधुनिकीकरण में बुनकरों/समितियों की सहायता करने के लिए अपने वार्षिक बजटों में पर्याप्त प्रावधान करें । भारत सरकार को भी इस कार्यक्रम में राज्य सरकारों की सहायता करनी चाहिए (पैरा 5.31) ।	स्वीकृत । इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिये वर्तमान केन्द्र और राज्य योजना के अतिरिक्त नई योजनायें भी बनाई जायेंगी । ऐसे कार्यों के लिये सहकारी बैंकों से मध्यम कालिक तथा दीर्घ कालिक सहायतार्थ उदार शर्तों पर ऐसी संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिये ।
42.	कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं कि अच्छा कार्य करने वाली समितियों के क्षेत्र में नयी समितियां पंजीकृत की जाएं और ऐसी नयी समितियों का वित्तपोषण करने में बैंक उदासीन रहें । यदि नयी समितियों के संगठन में मध्यवर्ती सहकारी बैंक को भी संबद्ध किया जाए तो ऐसी स्थितियों को अवश्य टाला जा सकेगा (पारा 6.2) ।	स्वीकृत । राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से प्रार्थना की जायेगी कि वे नई समितियों के गठन/निष्क्रिय समितियों को पुनः सक्रिय करने के लिये केन्द्रीय सहकारी बैंकों का सहयोग प्राप्त करें ।
43.	हमारे विचार में यदि राज्य स्तरीय समितियों में कुछ गैर सरकारी लोगों को भी रख लिया जाये तो समितियों को उनके कार्य संबंधी बहुत से मामलों में सहायता मिल सकती है । हम इस प्रकार के कदम का स्वागत करेंगे । साथ ही राज्य सरकारों पर इस बात	स्वीकृत । राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से प्रार्थना की जायेगी कि इस विषय में उचित कार्यवाही करें ।

1	2	3
	की जिम्मेदारी छोड़ दी जाए कि गैर सरकारी लोगों को इन समितियों में किस तरह और किस सीमा तक लिया जाए 'पैरा 6.3'।	
44.	सहकारी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में विभाजक हथकरघा क्षेत्र पर दुहरा नियंत्रण नहीं होना चाहिए। हथकरघा विकास कार्यक्रमों के निर्धारण और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी विभाग अर्थात् हथकरघा निदेशालय के अधीन हथकरघा सहकारी, संस्थाओं का प्रभार होना चाहिए। बुनकर समितियों के पंजीकरण की जिम्मेदारी भी इसी विभाग पर होनी चाहिए। साथ ही समितियों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को नियोजित करने का अधिकार इस विभाग को होना चाहिए जैसे कि तमिलनाडु में विद्यमान है। बैंकों के ऋण सीमा संबंधी आवेदनपत्र भी इसी विभाग द्वारा रिजर्व बैंक को प्रेषित किये जाने चाहिए। 'पैरा 6.6'।	स्वीकृत। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से प्रार्थना की जायेगी कि इस विषय में उचित कार्यवाही करें। भारतीय रिजर्व बैंक उन हथकरघा/उद्योग निदेशक को भी स्पष्टीकरण भेजे जिनको उनकी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों ने सहकारी समितियों का पदेन रजिस्ट्रार/अतिरिक्त रजिस्ट्रार घोषित किया है। हथकरघा उद्योग निदेशक अपने हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के ऋण सीमा आवेदन पत्र सहकारी समितियों के राज्य रजिस्ट्रारों को सूचित करते हुए सीधे भारतीय रिजर्व बैंक को भेज सकते है।
45.	कई बुनकर समितियों के पास स्टाकों का संचयन हो रहा है जिसका कारण बाजार के भावों में गिरावट नहीं, बल्कि समितियों द्वारा तैयार किया गया कपड़ा ऐसा है जो जल्दी और आसानी से बिक नहीं सकता। इस संदर्भ में समितियों की सहायता के लिए भारत सरकार ने 1956 में प्रत्येक उप पंजीयक के क्षेत्र में डिजाइनरों की नियुक्ति करने का सुझाव दिया था। हमने देखा है कि तमिलनाडु राज्य हथकरघा बुनकर समिति ने तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी नियुक्त किये हैं जो प्राथमिक बुनकर समितियों को उत्पादन कार्य में नयी तकनीकों का प्रयोग करने में सहायता देंगे। इसलिए हमारा सुझाव है कि सभी शीर्षस्थ बुनकर समितियां प्राथमिक बुनकर समितियों की सहायता के लिए तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी नियुक्त करें। तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए शीर्षस्थ समितियों को राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाये 'पैरा 6.9'।	स्वीकृत। राज्य स्तर के संगठन को शिखर स्तर पर तकनीकी स्टाफ, की व्यवस्था के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की योजना का पूर्ण रूप से लाभ उठाना चाहिये।
46.	हम यह सुझाव देते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में, जहां बुनकर समितियों की अधिकता है, संबंधित मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को चाहिए कि अपने उपनियमों में संशोधन करके भी इन समितियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करें। राज्य सहकारी बैंकों के निदेशक मंडलों में शीर्षस्थ/क्षेत्रीय बुनकर समितियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए 'पैरा 6.10'	स्वीकृत। भारतीय रिजर्व बैंक इस सम्बन्ध में उचित हिदायतें भेज देगा।
47.	हम यह सिफारिश करते हैं कि चूंकि राज्य स्तरीय समितियां अपने राज्यों की परिस्थितियों को अच्छी तरह जानती हैं इसलिए वे एक समिति की कार्यक्षमता के मानदण्ड निर्धारित करें। यदि उक्त कार्य नहीं किया जाता तो केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के दुरुपयोग की संभावना उत्पन्न हो सकती है। सामान्य मानदण्ड के अनुसार एक बुनकर समिति के पास वर्ष भर सक्रिय रूप से कार्य करने वाले 100 करघे होने चाहिए और कम से कम 3.50 लाख रुपये की कुल वार्षिक बिक्री होनी चाहिए। 'पैरा 7.3'।	स्वीकृत। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों के परामर्श के विशेष राज्य में सक्षम समिति बनाने के लिये उचित निर्देश जारी करेगी।
48.	सहकारी हथकरघा क्षेत्र को जबर्दस्त विपणन नीति अपना कर संगठित क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बुनकर सहकारी संस्थाओं को उत्पादन की नई विधियों को अपनाना होगा जिससे यह निश्चय हो सके कि उनके द्वारा उत्पादित सामग्री मध्य वर्ग और निम्न वर्ग की पहुंच के भीतर हो क्योंकि हथकरघा उत्पादन के प्रयोगकर्ता बड़ी संख्या में इसी वर्ग के लोग होते हैं। उक्त दो बातों के संबंध में भारत सरकार का वस्त्र उद्योग विभाग हथकरघा क्षेत्र की सामान्य रूप से और बुनकर सहकारी संस्थाओं को विशेष रूप से सहायता दे सकता है। पैरा '7.4'।	स्वीकृत। उत्पाद विकास, विपणन आसूचना और हथकरघा कपड़े की आंतरिक और बाहरी विक्रय के संवर्धन के अध्ययन को केन्द्रीय योजनाओं में उच्च वरीयता दी जायेगी। इस विषय में राज्य स्तर के संगठनों को आवश्यक वित्तीय सहायता भी दी जायेगी।

1	2	3
49.	हथकरघा और बिजली चालित करघा उद्योगों के लिए नियुक्त वस्त्र संबंधी मुख्य कार्यकारी दल के उप दल की 19 जनवरी 1978 को बम्बई में हुई एक बैठक में यह विचार प्रकट किया गया कि यदि भारत सरकार द्वारा सहकारी कताई मिलों को रुई की गांठें आबंटित करने में कुछ अधिमान्यता दी जाये तो बुनकर सहकारी संस्थाओं को सूत की आपूर्ति अच्छी तरह हो सकेगी : क्योंकि कताई मिलों से अपेक्षा की जाती है कि वे बुनकर सहकारी संस्थाओं को सूत की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर करें । इस विषय में हमारा सुझाव है कि भारत सरकार उपर्युक्त सुझाव की व्यवहार्यता पर विचार करे । 'पैरा 7.5' ।	इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है ।
50.	अध्ययन दल के अनुरोध पर रिज़र्व बैंक द्वारा देश में 13 जिलों की 65 बुनकर समितियों के 640 सदस्यों के संदर्भ में जो गहन अध्ययन किया गया उससे यह विदित हुआ कि औसत बुनकर सहकारी कताई मिलों के शेयर प्राप्त करने में प्राय: रुचि नहीं रखता और जो शेयर प्राप्त करने के इच्छुक है उनके पास उपभोक्ता किस्म की सहकारी कताई मिलों के शेयर प्राप्त करने के लिए सहकारी माध्यम से रिज़र्व बैंक द्वारा दिये गये किसी भी मध्यवधि ऋण की किश्तों को चुकाने की पर्याप्त क्षमता नहीं है । फिर भी उन बुनकरों को जिनकी बुनाई को छोड़कर अन्य स्रोतों से अतिरिक्त आय होती है ऐसे ऋण चयनात्मक रूप से और शेयरों के मूल्य के कम से कम 33⅓ प्रतिशत से 50 प्रतिशत की सीमा तक के सरकार द्वारा दिये जाने वाले पर्याप्त उपदान के आधार पर ऋण दिये जा सकते हैं । समितियों द्वारा ऋण की राशि बुनकरों को दिये जाने वाले वेतन में से उचित रूप से काटी जा सकती है । हमारी सिफारिश के अनुसार रिज़र्व बैंक हथकरघा	कताई मिलों के शेयर खरीदने हेतु बुनकरों को ऋण देने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक, हथकरघा विकास आयुक्त और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के परामर्श से, एक उपयुक्त योजना तैयार करेगा ।

1	2	3
	बुनकर समितियों को इस उद्देश्य से ऐसी सुविधायें उपलब्ध कराने की व्यवहार्यता पर विचार कर सकता है कि हथकरघा बुनकर/हथकरघा बुनकर समितियां सहकारी कताई मिलों से शेयर प्राप्त कर सकें, बशर्ते कि राज्य सरकारें हथकरघा बुनकरों के मामले में दिये गये सुझाव के अनुसार समितियों को उपदान देने के लिए सहमत हो जायें पैरा '7.7' ।	
51.	हमारी सिफारिश है कि रिज़र्व बैंक हथकरघा बुनकरों/हथकरघा बुनकर समितियों के लिए सहकारी कताई मिलों की ओर से एक ऋण व्यवस्था शुरू करने पर विचार करे जैसा कि सहकारी चीनी मिलों के संबंध में किया गया है । यह ऋण उनकी कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 1/4/ग, के अन्तर्गत सूत के बंधक/दृष्टिबंधक के आधार पर दिया जाए । भारत सरकार भी मिलों को उपदान देने के संबंध में विचार कर सकती है जिससे कि ऋण पर ब्याज अदा करने का बोझ हल्का हो सके । 'पैरा 7.10'।	सिद्धान्त रूप में स्वीकृत । इस सिफारिश को क्रियान्वित करने में आने वाली वित्तीय और अन्य कठिनाइयों की भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा और जांच की जायेगी । जहां तक सहकारी कताई मिलों को उनकी कार्यशील पंजी पर ऋण इमदाद की मंजूरी का सम्बन्ध है, भारत सरकार, राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से परामर्श करके उन योजनाओं की रूपात्मकता तैयार करेगी । भारतीय रिज़र्व बैंक इस सम्बन्ध में यथा समय उचित कार्यवाही करेगा ।
52.	हम यह सिफारिश करते है कि रिज़र्व बैंक बुनाई पूर्व और बुनाई के बाद अभिसंस्करण कार्यों के लिए लगाये गये यूनटों को चलाने के लिए बुनकर समितियों की ओर से रियायती दरों पर पुनर्वित्त सहायता प्रदान करे । पर यह सहायता उस स्थिति में दी जाये जब उक्त यूनिट लघु उद्योगों के लिए निश्चित कसौटी पर खरे उतरें । यदि वे लघु उद्योगों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते तो उनको रिज़र्व बैंक द्वारा दी जाने वाली पुनर्वित्त सुविधाओं के लिए उपभोक्ता किस्म की सहकारी कताई मिलों के समान ही समझा जाए । 'पैरा 7.12' ।	स्वीकृत । भारतीय रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों और सहकारी बैंकों को उपयुक्त हिदायतें जारी करेगा।

1	2	3
53.	हमारा सुझाव है कि रिजर्व बैंक मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को चुनकर समितियों का वित्तपोषण करने की अनुमति दे ताकि ये समितियां अपने सदस्यों को रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित उचित अधिकतम सीमा और मानदण्डों के भीतर उपभोग ऋण प्रदान कर सकें। चुनकर समितियों को बैंकों द्वारा प्रदान किये जाने वाले ऐसे अग्रिमों को बैंकों की स्वाधिकृत निधियों पर वैध प्रभार के रूप में माना जाए। (पैरा 7.14)।	स्वीकृत। भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों और सहकारी बैंकों को उपयुक्त हिदायतें जारी करेगा।

एम० ए० रंगास्वामी, विशेष सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

RESOLUTION

New Delhi, the 20th Feb., 1979

Sub:—Study Group to review the working of the Reserve Bank of India Scheme for Handloom Finance.

No. 6(9)/78/Coop.—The Government of India set up on the 28th October, 1977 by their resolution No. 6/7/77-Coop, a Study Group under the Chairmanship of Dr. M.V. Hate, to study in depth the working of Reserve Bank of India Scheme for Handloom Finance and to make suitable recommendations for proper working of the Scheme. The composition of the Study Group was as follows :—

1. Dr. M.V. Hate, Chief Officer, Agricultural Credit Deptt., Reserve Bank of India, Bombay.
2. Shri B.C. Patanik, Dy. Secretary, Banking Wing, Deptt. of Economic Affairs, Govt. of India, Ministry of Finance, New Delhi.
3. Shri M.M. Batra, Director of Textiles, National Cooperative Development Corporation, New Delhi.
4. Shri P. Shankar, Director of Handlooms & Textiles, Government of Tamil Nadu, Madras.
5. Shri S.N. Shukla, Director of Handlooms, Government of Uttar Pradesh, Kanpur.
6. Shri M.P. Pinto, Director of Handlooms & Textiles, Government of Maharashtra, Nagpur.
7. Shri B.B. Mohanty, Director of Handlooms & Textiles, Government of Orissa, Bhubaneswar.
8. Registrar of Cooperative Societies, Government of Bihar Patna.
9. Managing Director of State Cooperative Bank, Karnataka.
10. Managing Director of State Cooperative Bank, Andhra Pradesh.
11. Shri L.V. Sabtharishi, Deputy Development Commissioner for Handlooms Member—Secretary

The terms of the reference of the Study Group were as follows:—

(a) To review generally the working of the scheme for financing of handloom weavers through Co-operative Societies/Banks out of refinance from the Reserve Bank of India and to suggest modifications and improvements in the working of the scheme, if required.

(b) To study the specific role played by the Central Cooperative Banks and State Co-operative Banks in arriving at the quantum of credit required for financing of handloom weavers and to indicate a more effective role for the banks for the purpose so that the credit estimates and the credit limit applications are realistic.

(c) In the light of the above, to assess the credit requirements of handloom weavers' co-operative societies including the Apex Societies during the next two or three years and to give a broad indication of the magnitude of finenaial requirements and in this connection make suitable recommendations in regard to strengthening of the primary weavers societies/Apex Societies etc. and also of the co-operative financing panks.

(d) To study the present position in regard to arrangements for co-ordination at the State level and district/regional level in regard in handloom financing between the Cooperative Department, Industries Department/Directorate of Handlooms and Co-operative Banks and to point out the existing inadequacies, if any, and make suitable recommendations for remedying them.

(e) To consider any other problem which is relevant to the above terms of reference and make recommendations.

The report submitted by the Study Group contained 53 recommendations relating to various aspects of scheme of handloom finance. These recommendations were scrutinized in depth by an Inter-Ministerial Committee headed by Shri Mani Narayanswami, Development Commissioner for Handlooms. The decisions arrived at on each of the recommendations as a result of such consideration are indicated in Annexure.

The recommendations of the Study Group as accepted by Government of India are required to be implemented by various agencies in charge of Handloom Industry and those responsible for development and providing institutional finance for the Industry.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered also that a copy of this Resolution be communicated to Private and Military Secretaries to the President, Prime Minister's Office, All Ministries of the Government of India, All State Governments/Union Territories Administrations, The Planning Commission, the Controller and Auditor General of India, State Director of Handlooms/Industries, Registrar of Cooperative Societies, State Apex Cooperative Banks, District Central Cooperative Banks, All Nationalised Banks, National Cooperative Development Corporation.

ANNEXURE

Statement showing the decisions taken on the recommendations of the working of the Reserve Bank of India Scheme for Handloom Finance.

Sl. No.	Recommendation	Decisions
1	2	3
1.	There is conspiouous imbalance in the impact of the Scheme of Handloom Finance in different states. The reasons for the poor porgress of the scheme in many states are mainly relatable to the weak structure of the weavers co-operative arising from factors such as lack of co-ordination between Industries Department and the Co-operation Department, the absence of serious efforts to revive the weak or dormant societies and the lack of sufficient promotional interest taken by the financing banks. The structure of the weavers co-operatives at primary and also apex levels in many states is characterised by dormant and weak societies and is not capable of absorbing the refinance facilities provided by the Reserve Bank under the scheme. Many of the socicties still do not conform to the pattern of working recognised by the Reserve Bank. They are not organised on production-cum-sale pattern. As on 30 June, 1976 the number of dormant societies in 16 States/Union Territories was more than $\frac{1}{3}$ of the total number of societies and in states like Bihar, Himachal Pradesh, Karnataka, Punjab, Rajasthan, Tripura and Uttar Pradesh the number of dormant socicties was between 45 per cent and 94 per cent of the total number of societies. Further, in states like Himachal Pradesh, Rajasthan and Tripura the membership of dormant societies was more than that of active societies and in states like Karnataka, Orissa, Uttar Pradesh and Wes. Bengal the membership of dormant societies was very large. We, therefore, recommend that the Co-operation and Industries/Handlooms Department of the State Governments should draw up a time bound programme for the rehabilitation of weavers societies and also their reorganisation where necessary so that at the end of the Sixth Plan period there will be only viable societies which are capable of absorbing the refinance facilities provided by the Reserve Bank under the Scheme for Handloom Finance. The State Governments may avail themselves of the central schemes for share capital assistance for revitalisation/reorganisation of weavers societies with a view to increasing the co-operative coverage of handlooms and handloom weavers. (Para 3.7)	The State Govrnments/ Union Territories Administrations have been requested in the Conference of Handloom Ministers presided over by Union Minister of Industry held on 8th June, 1978 to draw up a time bound programme for rehabilitation of Weavers societies and also their reorganisation during the 6th Plan period and try to achieve not only the target of 6% cooperative coverage bu also higher levels of coverage wherever possible. The State Governments amy also avail themselves of the provided under the Central Plan Scheme for revitalisation of weavers' socleties and for the formation of new societies.
2.	There is a central sector scheme under which assistance is granted to weak central cooperative banks to write off the bad debts of the members of primary agricultural credit societies. A similar scheme may be formulated for weak weavers societies also to enable them to write off their bad debts under certain circumstances and thus become eligible for finance from the banks. Provision may also be made for managerial assistance to these societies. (Para 3.8).	State Governments may draw up a scheme for writing off the bad debts and losses of the weak handloom weavers' cooperative societies in order to make them eligible for finance from the Banks. The Central Government will consider formulating a scheme of managerial assistance to these societies on receipt of ther proposals from the State Governments.
3.	The Staff available for supervision over weavers societies, by and large, is quite inadequate. The norms for supervision over these societies have been laid down by Government of India in 1956. These norms provided that for every 10 societies there should be one suprevisor and for every 3 supervisors there should be one inspector to supervise their work. We recommend that the State Governments should appoint adequate staff for close supervision over the weavers societies. The staff must be attached to the Department which is responsible for formulating and implementing the programmes for handloom development. They	Accepted, State Governments are being requested to take appropriate action on these lines. The pattern and scale of staff to be appointed would however depend upon actual needs in each State.

1	2	3
	must work in close coordination with the supervisors/inspectors of the banks financing the weavers societies. (Para 3.9).	
4.	Under the Sixth Plan it is envisaged that the cooperative coverage of handlooms must be raised to 60 per cent of the total number of handlooms in the country. The credit support for this programme cannot be achieved unless the coverage is in respect of active looms. We, therefore, strongly recommend that the state governments should make efforts to bring more number of active looms within the cooperative fold. (Para 3.10).	As at decision on Recommendation No. 1.
5.	Many of the banks in states like Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Punjab, Haryana and Assam have yet to start getting used to providing finance to weavers societies and handling the scheme for Handloom Finance. We recommend that state cooperative banks and the cooperative department maust pay special attention to familiarising the central banks with the Scheme for Handloom Finance. The banks should be in a position to suitably guide, advise and instruct the weavers and the societies about the procedure, disciplines to be observed etc. in the implementation of the schome. We further suggest that the Reserve Bank/State Governments may organise suitable training courses for the officers of the concerned departments of the State Governments and cooperative banks on the financing of weavers' cooperatives under the scheme. (Para 3.11)	(i) While the Vaikunth Mehta National Institute of Cooperative Management will organise programmes for marketing and management. (ii) The Reserve Bank of India will organise Training Courses for higher level officers of the State Governments and the Chief Executives of Cooperative Banks on the Reserve Bank of India Scheme of financing of handloom weavers' cooperative societies in the college of Agricultural Banking at Pune. (iii) The Department of Civil Supplies and Cooperation may also arrange in consultation with the National Council for Cooperative Training, training for intermediate and junior level functionarise of the Cooperative Banks in regional cooperative training colleges and junior training centres.
6.	Some of the central banks are not taking due interest in the financing of weavers societies. This passive attitude of the banks to the problems of the weavers societies is, in our view, unjustified. Handloom industry in a priority sector. The new industrial policy of the Government of India laid before Parliament on 23 December, 1977 by the Minister of Industry has emphasized the need for assistance to this industry on a priority basis. We, therefore recommend that the state cooperative banks should in their own interest and in the context of national policy, involve themselves to a substantial extent in the financing of apex weavers societies. They should treat the funds provided by the Reserve Bank as supplementary only. The central cooperative banks may also step up their advances to the eligible weavers societies as they are assured of full refinance from the Reserve Bank. (Para 3.13).	Reserve Bank of India will issue a circular to the Co-operative Banks and Registrar of Cooperative Societies in this regard. Motivation campaigns will be organised by the Development Commissioner for Handlooms in coordination with Reserve Bank of India all over the country for the greater involvement of the Cooperative Banks in the financing of the handloom sector to a substatial extent in the coming years.
7.	There have been inordinate delays in the settlement of interest subsidy claims of the banks and the rebate claims of the weavers societies by the State Government. We, therefore, recommend that the State Governments should make adequate budgetary provisions for the annual plan schemes which must be reasonably sufficient to meet the interest subsidy and rebate claims on the governments and the amounts must be paid within say, 3 months of the date of the claims. Higher provisions for interest subsidy will have to be provided in the annual state plans in the coming years in view of the flow of larger volume of credit. (Para 3.14).	Accepted. State Government will be informed accordingly.
8.	In some cases there has also been delay on the part of the State governments/Central Government in the case of Union Territories in executing the guranteo deeds for the credit limits sanctioned by the Reserve Bank under section 17(2) (bb) read with section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India, Act. 1934	Accepted. The State Governments will be requested to execute a single continuing guarantee for a period of three years.

1	2	3
	for financing of weavers societies. We, therefore, recommend that the governments should execute a single continuing gurantee for a period of 3 years at a time for the advances proposed to be availaed of by the state cooperative banks from the Reserve Bank for the financing of weavers societies as well as for financing of the 22 broad groups of cottage and small scale industries for which also refinance is available from the Bank. (Para 3.15).	
9.	The control cooperative banks can make advances in an increasing measure only to weavers societies whlch arc viable units and having their own paid staff. Societies not having paid secretaries are common in many parts of the country. Unless the societies have their own paid secretaries, it will not be possible for them to expand and manage their business effectlvely. We suggest that Government of Indla may formulate a scheme for giving financial assistance to the societies for appointment of staff. The State Governments may avail themselves of such assistance from Central Government and in turn assist the societies in the appointment of staff. The state governments may also consider granting the societies some managerial subsidies for the purpose from thelr own annual plan provisions. (Para 3.17)	Accepted. Central Government will formulate a scheme for giving financial assistance to the cooperative societies for appointment of staff. The State Governments will also be requested to consider granting the societies some managerial subsidy for the purpose from their own Annual Plan provlsions.
10.	We recommend further that the societies must advance yarn to the weavers to the extent required for the economic working of the warp against one or two sureties only. They should also make advance payment of wages to the weavers at least to the extent of 25 per cent of the value of the total number of knots of yarn issued to them. (Para 3.18)	Reserve Bank of India will write to Director of Industrles/Handlooms, Registrar of Cooperative Societies who will in turn lssue necessary instructions to the Handloom Weavers' Primary Cooperative Societies in this regard.
11.	Though the advances made by the banks to the weavers societies for their productlon and marketing purposes have increased in absolute terms, the proportion of such advances to the total advances made by the banks has been more or less static during the last three years. This is not at all a satisfactory position. We recommend that the state and central cooperative banks should give high priority to the financing of weavers societies. They should involve themselves in an increasing measure in the financing of these societies as in the case of financing of small farmers. (Para 4.2)	Accepted. Motivation campaigns as proposed at Recommendatlon No. 6 (Para 3.13) and frequent and regular meetings of the State Level Coordination Committee already functioning in the States in terms of the circular No. 15015/1/76/ Coop. dated 20-11-1976 of Development Commissioner for Handlooms will seek to achieve these objectives.
12.	The reorganisation of existing societies on a viable basis and the organisation and promotion of new vlable societies are the responsibility of the concerned departments of the State Governments. In these programmes of the State Governments the state and Central Cooperative Banks have a vltal role to play and governments will have to heavily relay on their assistance. It will, therefore, be necessary for the banks to widen their developmental and promotional role and actively assist the State Governments in thelr developmental Programmes. (Para 4.3)	Accepted. Suitable instructions will be issued by Reserve Bank of India and State Governments to the Cooperative Banks.
13.	The working Group on Industrial Financing through Cooperative Banks had recommended (1968) the setting up of a separate industrial section by every state cooperative bank and the blgger among the central cooperative banks. This section ls to be guided on policy and allied matters by technical groups set up for the purpose. But many banks have not implemented these recommendatlon on the group that slnce thelr business with the industrial-Cooperatlve ls not much, the setting up of an industrlal section and technical group may not be a remunerative proposition. We suggest that the banks must take a long term view of the matter as they can expect adequate business with the industrial societies when once the existing societies are reorganised	Reserve Bank of India and State Governments will issue instructions to the State Cooperatlve Banks in addition to the instructions already issued earlier by them.

1	2	3
	on a viable basis and new viable societies are also set up. (para 4.4).	
14.	The state and central cooperative banks will have to enlarge their financial and developmental roles in support of the Government of India's programmes to raise the Cooperative coverage of handlooms to 60 per cent during the next five years. In this context we suggest that every central cooperative bank in whose area of operations there are 5000 or more looms, active, and dormant, must create a separate cell in the bank exclusively to attend to the work of developing and financing weavers cooperatives. This cell must take the initiative in bringing more number of looms, within the cooperative fold, in explaining to the societies the formalities to be gone through for availing of loans and assist in the financing of the societies in accordance with the prescribed norms and in promptly attending to the grievances of the societies. This cell must also be responsible for collection of data relating to weavers societies and furnishing the same to the Director of Hand looms/Industries/Registrar and the Reserve Bank. (Para 4.5).	Reserve Bank of India and State Governments will send suitable instructions to the District Central Cooperative Banks.
15.	We also suggest that in states where there are 30000 looms or more the state cooperative banks should form a separate cell exclusively for attending to the promotions, development and financing of weavers societies and coordinating the activities of central cooperative banks vis-a-vis weavers societies. (Para 4.6).	Reserve Bank of India and State will issue suitable instructions to the State Apex Cooperative Banks.
16.	In the case of weavers societies whose member are all poor, the cooperative banks should provide at least the same facilities which they get from the higher financing agencies if not more. Many banks charge high rate of interest on loans made to weavers societies from their own resources. This is not correct. Even if they do not seek refinancing facilities from the Reserve Bank they should charge only the same rate at which they can get refinance from the Bank if they so desire and claim subsidy from the government. We suggest that all the banks should follow this procedure and if any bank charges a higher rate of interest from the societies, the concerned department of the state governments should take appropriate action in the matter. (para 4.10).	Accepted. Reserve Bank of India and State Governments will issue suitable instructions to the State Cooperative Banks. From time to time the Registrar of Cooperative Societies should review the cases of those Banks which charge higher rates of interest than stipulated by Reserve Bank of India for the handloom sector and take appropriate corrective action in the matter under intimation to Development Commissioner for Handlooms.
17.	The relaxation granted to the weavers societies by the Reserve Bank with a view to aiding in their growth like lower margin for borrowings, share linking to borrowings at 1 : 40 etc. should not be diluted by the cooperative banks to the detriment of the societies. (Para 4.11)	Accepted. Reserve Bank of India/State Governments will issue suitable instructions to the Cooperative Banks.
18.	The Reserve Bank has fixed a margin of 25 per cent for additional limits to be sanctioned to primary weavers societies as against 10 per cent in the case of normal limits. The two different rates of margins appear to us not justified. We, therefore, recommend that the Reserve Bank may prescribe a uniform margin of 10 per cent only for the advances made by the banks to the primary weavers societies both under the normal and additional credit limits. (Para 4.12).	Accepted. Reserve Bank of India will issue necessary instructions.
19.	We recommend that the additional limits sanctioned to the primary Weavers societies by the Central banks having satisfactory arrangements for supervision over the societies and their stocks must be reimbursed by the Reserve Bank if the banks submit their supplementary credit limit applications and the societies which are financed by the banks are viable/potentially viable and hove appointed full time paid secretaries. (Para 4.13).	Accepted. Reserve Bank of Indian will issue necessary instructions.

1	2	3
20.	If the owned resources of the central cooperative banks are too inadequate to sustain their investments in weavers finance till the sanction of credit limits by the Reserve Bank, we suggest that the state co-operative banks should assist them by providing necessary interim financial accommodation for the purpose. This will also help the central banks in granting renewal of limits to good working societies which observe the prescribed financial discipline on expiry of the period of limit without waiting for sanction of credit limit by the Reserve Bank. (Para 4.16).	Accepted. Reserve Bank of India will issue necessary instructions.
21.	Under the discipline prescribed by the Reserve Bank for financing the short-term credit structure, the central co-operative bank is not eligible for refinance if its overdues exceed 60 percent of the demand for the year. Hence in such circumstances the primary agricultural credit societies as well as the weavers societies are debarred from refinance facilities from the Reserve Bank. We feel that there are no convincing and cogent reasons for the Reserve Bank to link the sanction of limits for financing weavers societies with the sanction of limits for financing short term agricultural operations. We, therefore, suggest that as long as weavers societies satisfy the norms prescribed by the Reserve Bank and they also follow the prescribed procedure, the Reserve Bank may consider sanctioning credit limits to the central co-operative banks for financing these societies irrespective of whether or not they have been sanctioned short term credit limits for agricultural operations on account of heavy overdues provided however the financial position and working of the banks is not in such a bad condition that they are incapable of absorbing any credit extended to them by the higher financing agencies. The weavers societies themselves should be viable, at least potentially so and have full time paid secretaries to look after their affairs. (Para 4.19).	Accepted. Reserve Bank of India will issue necessary instructions.
22.	The Reserve Bank has recently in March 1978 reduced the refinancing rate for the financing of weavers societies from 1-1/2 per cent below the Bank Rate to 2-1/2 per cent below the Bank Rate. Besides, individual weavers who are members of PACS/FSS/LAMPS can get financial accommodation at 9-1/2 per cent for which refinance is provided by the Reserve Bank at 3 per cent below the Bank Rate. It may not be possible for the Reserve Bank to contemplate any further reduction of the refinance rate in the context of overall national policies and considerations. If, however, necessary subsidy could be given by the Government, a lower interest rate could be charged to weavers societies and to invividual weavers who are members of PACS/FSS/LAMPS also. (Para 4.21).	For weavers covered by PACS/FSS/LAMPS the interest subsidy is to be allowed to these societies do not suffer undue hardship vis-a-vis members of handloom weavers cooperative societies. Provisions for this could be made under the relevant scheme in the annual plan of the State Governments.
	We feel that the banks will assume more responsibilities and exercise greater care if the societywise scrutiny of loan applications is vested in them. we, therefore, recommend that the Reserve Bank may consider sanctioning overall credit limits to the central co-operative banks for financing weavers societies on the basis of the lending programmes and past performance of the banks and leaving the responsibility for fixing credit limits to individual weavers societies to the banks themselves on the basis of certain norms laid down by the Reserve Bank. The Bank may lay down the necessary guidelines in this behalf for the guidance of the central cooperative banks and obtain such periodical returns from the banks as may be necessary to monitor the flow of credit. The sanction of overall limits by the Bank may, however, be restricted to only those central banks and weavers societies which have adequate supervising arrangements. (Para 4.23).	Accepted. Reserve Bank of India will issue necessary instructions.

1	2	3
24.	We also recommend that the Reserve Bank may consider removing the ceiling fixed for sanction of limit to an apex weavers society at 3 times its owned funds in view of the ceiling that the limit sanctioned to an apex society should not exceed 9 times its disposable owned resources. (Para 4.24).	Necessary action has been taken by the Reserve Bank of India.
25.	Of late the state Governments have not been quite earnest in strengthening the share capital of weavers societies. We recommend that the governments give priority consideration to contribution of share capital to weavers societies and revive the scheme in this behalf with appropriate allocation of ressources in the Sixth Plan period by taking maximum advantage of scheme under central funds which are available. (Para 5.4).	This is an on-going programme and majority of the States are taking full advantage of this Scheme. All the States are being requested to undertake this programme on top-priority basis.
26.	Due to various financial constraints the state government may not be able to participate in the share capital of the weavers societies in any big way. The governments must, therefore, be assisted by some financing institutions by giving loans for share capital participation in weavers societies. It appears to us that the National Cooperative Development Corporation is the appropriate agency to assist the state governments for contributing to the Share capital of primary weavers societies. Since the Corporation has not been provided with additional funds on continual and effective basis to take up this responsibility, the Corporation is presently extending assistance to only the apex/regional weavers societies out of its funds and no assistance is being given to the primary weavers societies. We, therefore, recommend that the Corporation may be provide with adequate funds by Government of India to enable it to provide financial assistance for participation in the share capital of primary weavers societies. (Para 5.9).	Accepted in principle. The National Co-operative Development Corporation has been requested to draw up a detailed scheme.
27.	We further recommend that the apex weavers societies may make larger use of the facilities provided by the National Cooperative Development Corporation. The Corporation may also assist the apex weavers societies through the state governments not only in the construction and opening but also in the renovation of show rooms and godowns. It should assist in construction of work sheds, etc. for primary weavers societies. (Para 5.13).	National Cooperative Development Corporation has been requested to drawn up a detail scheme in this regard.
28.	The cost of production of handloom cloth is increasing year after year. There must, therefore, be some mechanism for periodical review of the per loom scales of finance fixed by the Reserve Bank. We suggest that the Reserve Bank may undertake a review of the scales of finence for the financing of weavers societies, say once in three years or earlier if necessary. (Para 5.14).	Accepted. Reserve Bank of India will undertake the first such review of norms of financing handloom weavers cooperative societies by December, 1978 and thereafter reviews will be undertaken as per the recommendations.
29.	It was observed that some of the central co-operative banks were not financing the societies according to scales of finance which were eligible for reimbursement from the Reserve Bank. We recommend that the central cooperative banks should finance the primary weavers societies at the per loom scale of finance in respect of the new looms registered with them provided they are satisfied about arrangements for supervision, viability and the need for finance. The Reserve Bank may agree to fully reimburse such advances provided the registering of new looms with the societies are certified by the Director of Handlooms/other competent authority of the state government. (Para 5.15).	Accepted. Reserve Bank of India will issue suitable instructions to State Governments.
30.	It may happen that some of the looms registered with a society may have to be kept idle for some reason or the other. We suggest that the society may be sanctioned limits on per loom scale of finance in respect of these	Accepted. Reserve Bank of India will issue suitable instructions to the Registrar of Cooperative Societies and Cooperative Banks.

1	2	3
	looms also if the society wishes to activise such looms after some-time, provided the looms are in good working conditions. The sanction of the limit should be on the special recommendation of the field staff of the Department of Handlooms/Industries indicating the reasons why the looms had to remain idle and whether they are now in a good working condition and such advances made by the banks may be eligible for reimbursement by the Reserve Bank. (Para 5.15)	
31.	We suggest that when societies submit any concrete and acceptable production programme supported by such supervising arrangements as may be necessary in this behalf, the Reserve Bank may accept the same and their requirements must be assessed accordingly. Normally, however, the Reserve Bank may go by the norm of assessment of anticipatory production at 20 per cent over the production during the previous year. (Para 5.17)	Accepted. Reserve Bank of India will issue suitable instructions to the Registrar of Cooperative Societies and Cooperative Banks.
32.	We recommend that in the case of new weavers societies and dormant societies to be activised, their credit requirements may be assessed by the banks on per loom scale of finance for the first two years of their working instead of one year as at present and the Reserve Bank may fully reimburse the banks of such advances granted b y them to the societies (Para 5.18)	Accepted. Reserve Bank of India will issue suitable instructions to the Registrar of Cooperative Societies and Cooperative Banks in this regard.
33.	According to the existing norms, the credit limits of apex weavers societies are fixed by the Reserve Bank at 25 per cent of their anticipatory sales during the year. This is based on the assumption that it is possible to have 4 times the turnover of the working capital during the year. It is pointed out by some apex societies that this is possible only under ideal conditions of marketing but that the marketing conditions in the country have not developed to such an extent as to make it possible to have more than 3 times the turnover of working capital. We, therefore, recommend that the Reserve Bank may undertake a detailed state-wise study of the apex weavers societies with a view to finding out the practicable ratio of working capital to sales turnover and, if found necessary, revise the norms for sanctioning credit limits for the apex weavers societies. (Para 5.22)	Accepted. This study will be undertaken by the Reserve Bank of India by 30th November, 1978 and appropriate decision taken on the basis of the Study.
34.	We recommend that the State Cooperative Banks may be permitted by the Reserve Bank to reckon as cover the aggregate rebate claims certified for payment by the Director of Handlooms or the other competent authority of the State Government in the past 3 months instead of 2 months as at present or the actual outstanding under all such claims preferred from time to time as at the end of the preceding month, whichever is less. (Para 5.24)	Reserve Bank of India will issue suitable instructions to the Registrar of Cooperative Societies and Cooperative Banks in this regard.
35.	We also recommend that the aggregate of claims presented to the Treasuries/Government Departments in the past 3 months in respect of credit sales of handloom cloth made to Government servants, instead of 2 months as at present may also be reckoned as cover for the borrowings of apex weavers societies. (Para 5.25.)	Reserve Bank of India will issue suitable instructions to the Registrar of Cooperative Societies and Cooperative Banks in this regrard.
36.	We recommend that the Registrar as well as the State Cooperative Banks must take early action to ensure that every Central Cooperative Bank complies with the instructions of the Reserve Bank and releases the reserve fund deposits of the weavers societies immediately for their use in the business of the societies. (Para 5.26)	Accepted. Reserve Bank of India/State Governments will issue suitable instructions to the Cooperative Banks over this matter.
37.	We suggest that the Reserve Bank may as a special case fix the scale of finance at Rs.5000 per loom using polyester fibre so that the banks can start financing the socie-	Accepted. The per loom scale of finance fixed for production of Polyester Fabrics by the handloom weavers cooperative societies as fixed at the

1	2	3
	ties without delay. If need be, the position can be reviewed next year on the basis of studies taken up in this behalf. (Para 5.27)	level of Rs. 5,000 by Reserve Bank of India will cover all men-made and blended fabrics. Reserve Bank of India will issue suitable instruction, cirulars to the State Govts./Cooperative Banks indicating the scale of financing for production of this fabrics.
38.	The Cooperative Banks in the North Eastern States of Assam Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura and Manipur have not taken any interest in the development, promotion and financing of the weavers societies. In fact the scheme for handloom finance has not been implemented in any of these States. We are given to understand that the majority of the societies in these States are either week or dormant. In Assam out of 1531 weavers societies as on 30 November, 1977 as many as to 845 were dormant. In Nagaland out of 15 societies only 3 were active. In Tripura out of 72 societies, 43 were dormant. In Manipur out of 382 societies 170 were dormant and in Mizoram out of 9 societies 6 were dormant. The co-operative coverage of handloom in these States was very low and ranged between 0.2 per cent in Nagaland and 6.5 per cent in Manipur. The State Governments must take early acttion for the reorganisation/rehabilitation of these societies on a viable basis so that the societies become eligible for finance from the banks. The banks must also widen their developmental and promotional roles and help the growth of weavers societies in their region. The implementation of this programme needs special emphasis on a priority basis and urgent action from the Government of India as well. (Para 5.28)	Accepted. The State Governments have taken up a programme of reorganisation/rehabilitation of dormant handloom weavers cooperative societies since 1976-77 with Central Plan assistance. The programme needs to be stepped up to reach the 60% active coverage and also exceed this level wherever possible.
39.	The societies must make earnest efforts to achieve the targets set for them for the production of Janta varieties of cloth. The working capital requirements granted by the banks for the purpose are eligible for reimbursement from the Reserve Bank. (Para 5.29)	Accepted. Necessary instructions will be issued by the Reserve Bank of India.
40.	The Reserve Bank may take into account the need for export marketing credit of the apex weavers societies while sanctioning credit limits to them. The value of goods exported but not paid for by the buyers for a period upto 3 months may be allowed to be recokened as cover for the borrowings of the societies from the banks.	Accepted. As for the expert credit requirements of these Apex societies are concerned, Reserve Bank of India will issue suitable instructions to all concerned.
	The investment of funds in production of special varieties of cloth for export either on own account or through the primary societies should be treated as proper use of the limits sanctioned to the societies. In the case of primary weavers societies which have secured export orders, the Reserve Bank may consider sanction of higher limits on their behalf if after a study of economics of production of these varieties of cloth involved a higher quantum of loan is found to be necessary to carry out the export orders by the societies. (Para 5.30)	As far as primary weavers societies are concerned, a study will be undertaken by 30th November, 1978 to determine the needs of these societies for export credit in additiona to the normal credit limits available.
41.	Purposes like purchase, renovation and modernisation of looms require medium-term loans with high elements of subsidy as the repaying capacity of the handloom weavers is very much limited. We feel that it is the responsibility of the State Governments to assist the weavers and the societies for these purposed. We, therefore, recommend that the State Governments may make adequate budgetary provisions in their annual State plans for assisting the weavers/societies in the purchase, renovation and modernisation of looms. The Government of India should support the State Governments in this programme. (Para 5.31)	Accepted. In addition to the existing Central Plan Scheme and the States schemes, new schemees to give effort to this recommendation would be drawn up. The possiblity of securing medium term/long term assistance from Cooperative Banks for such activities on liberal terms should be explored.
42.	There may arise situations when new societies are registered in the area of good working societies and hence the banks are reluctant to finance	Accepted. The State Government/Union Territories will be requested to associate the Central Cooperative Banks in the

1	2	3
	such new societies. Such situations can very well be avoided if the central cooperative bank is associated in the organisation of new societies. (Para 6.2)	organisation of new societies/revitalisation of dormant ones.
43.	We feel that the presence of some non-officials on the State level committees may in many cases help the committee in their work. We would welcome such a move leaving it to the State Governments the manner and extent of association of non-officials with such committees. (Para 6.3)	Accepted. The State Government/Union Territories will be requested to take necessary action in this matter.
44.	There should not be dual control over the handloom sector segregated into cooperative sector and others. The department, viz., the Directorate of Handlooms which is responsible for the formulation and implementation of handloom development programmes must be in charge of handloom cooperatives. They must be responsible for registration of weavers societies and must have a say in planning their credit requirements as is obtaining in Tamil Nadu. The credit limit applications of the banks may also be forwarded to the Reserve Bank by the same department. (Para 6.6.)	Accepted. The State Governments/Union Territories will be requested to take necessary action in this matter. The Reserve Bank of India may also issue clarification to those Directors of Handlooms/Industries who have been declared as the ex-officio Registrar/Additional Registrar of cooperative societies by their respective State Government/Union Territories. Director of Handlooms/ Industries can send their credit limit applications of the handloom weavers' cooperative societies direct to the RBI under intimation to the State Registrar of Coop. Societies.
45.	Many weavers societies are facing accumulation of stocks not because of any slump in the market but because they are producing cloth which cannot be sold easily or early. It is for helping the societies in this regard that The Govt. of India had suggested in 1956 the appointments of Designers in every Deputy Registrar's Circle. We have noticed that the Tamil Nadu State Handloom Weavers Society has appointed technical staff to assist the primary weavers societies in new production techniques. We suggest that all apex weavers societies may appoint such technical staff in helping the primary weavers societies. For appointing the technical staff the apex societies may be granted financial assistance by the State Governments. (Para 6.9)	Accepted. The State level organisations should take full advantage of the National Cooperative Development Corporation scheme for provision of technical staff at the apex level.
46.	We suggest that in areas where there is concentration of weavers societies, the concerned Central Cooperative Banks should give representation to these societies even by amending their by-laws. Apex/regional weavers societies should be represented on the Board of Directors of the State Cooperative Banks. (Para 6.10)	Accepted. Reserve Bank of India will issue suitable instructions in this regard.
47.	We recommend that the State Level Committees who know the conditions in their States better may lay down norms for viability of a society. Unless this is done there may arise chances for misutilization of the various facilities provided by the Central and State Governments. As a general norm we would say that a weavers society should have at least 100 looms working actively throughout the year and have a minimum sales turnover of Rs 3.50 lakhs. (Para 7.3)	Accepted. Suitable guidelines will be issued by Central Government in consultation with the State Government/ Union Territories on which constitutes a viable society in a particular State.
48.	The handlooms in the cooperative sector will have to follow an aggressive marketing policy and compete with the organised sector. For this purpose the weavers cooperatives must adopt new techniques of production so as to ensure that what is being produced is acceptable to the consumers. They should also adopt cost reduction programmes so as to ensure that what is being produced is within the reach of middle class and poor class people since they form the bulk of the consumers of handlooms products. In these two matters the Government of India in the Department of Textiles can offer much assistance to the handloom sector in general and to the weavers cooperatives in particular (Para 7.4)	Accepted. Studies in product development, market intelligence and promotion of internal and external sale of handloom cloth will be given top priority in the Central Plan schemes. In this regard, necessary financial assistance will also be given to the State level organisations.

1	2	3
49.	In a meeting of the Sub-group on the Main Working Group on Textiles for Handloom and Powerloom Industries held in Bombay, January 1978, a view was expressed that if some preference is shown by Government of India in allotting cotton bales to the cooperative spinning mills, the supply of yarn to weavers cooperatives may improve, since these mills are required to supply yarn to the weavers cooperatives on priority basis. We suggest that Government of India may consider the feasibility of the above suggestion. (Para 7.5)	This suggestion is being examined.
50.	A study in depth undertaken by the Reserve Bank at the instance of the Study Group covering 640 members of 65 weavers societies in 13 districts in the country revealed that the average weaver is not by and large interested in the acquisition of shares of Cooperative Spinning Mills and those who are interested do not have the requisite repaying capacity to enable them to repay the instalments of any medium-term loans that may be granted to them by the Reserve Bank through cooperative channel for acquisition of shares in consumers type of cooperative spinning mill. Such loans can be provided, however, on a selective basis to those weavers who have additional income from sources other than weaving and on the basis of a substantial subsidy from Government, at least to the extent of 33 1/3 per cent to 50 per cent of the value of shares. The loan amount can be suitably deducted by the societies from the wages payable to the weavers. We also recommend that the Reserve Bank may consider the feasibility of extending such facilities to handloom weavers societies for acquiring shares in co-operative spinning mills for handloom weavers/handloom weavers, societies provided the State Governments are agreeable to grant subsidies to the societies as suggested in the case of handloom weavers. (Para 7.7)	A suitable scheme for giving loan to the weavers for purchase of shares in spinning mills will be formulated by RBI in consultaion with Development Commissioner Handlooms & N.C.D.C
51.	We recommend that the Reserve Bank may consider opening a line of credit on behalf of cooperative spinning mills for handloom weavers/handloom weavers societies as in the case of cooperative sugar mills for meeting their working capital requirements against pledge hypothecation of yarn under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act. The Government of India may also consider granting subsidy to the mills so as to bring down their burden of interest on borrowings. (Para 7.10).	Acceptable in principle. The financial and other implications of implementing this recommendation will be further examined by the Government of India and the Reserve Bank of India. As far as granting interest subsidy to Cooperative Spinning Mills in respect of their working capiatl finance is concerned, the Government of India will work out the medalities of such-schemes in consultation with State Govts./ Union Territories. The Reserve Bank will take appropriate action in due course.
52.	We recommend that the Reserve Bank may provide refinance facilities at concessional rates on behalf of weavers societies for running their units for pre-weaving and post-weaving processing operations, if such units satisfy the criteria of small scale industries. If they do not satisfy the criteria of small scale industries, they should be treated on par with consumer type of cooperative spinning mills for refinance facilities from the Reserve Bank. (Para 7.12).	Accepted Reserve Bank of India will issue suitable instructions to the State Governments/Union Territories and Cooperative Banks.
53.	We suggest that the Reserve Bank may allow the Central Cooperative Banks to finance the weavers societies for granting consumption credit to their members under appropriate ceilings and norms prescribed by the Reserve Bank and such advances granted by the banks to the weavers societies may be reckoned as a legitimate charge on the owned funds of the banks. (Para 7.14).	Accepted. Reserve Bank of India will issue appropriate instructions to State Governments/ Union Territories and Cooperative Banks.

M. A. RANGASWAMY, Special Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979